न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:–2/2023 दायरा दिनांक 23.06.2023

पीठासीन अधिकारी :–श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. अनारीबाई पुत्री घासी उर्फ घसिया पत्नी रामस्वरूप जाति सहरिया निवासी बिरमानी हाल निवासी तेलनी तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
2. प्रेम पुत्री घासी उर्फ घसिया पत्नी रामदयाल जाति सहरिया निवासी बिरमानी हाल निवासी फरेदुआ–उपरेटी तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
3. बिन्दाबाई पुत्री घासी उर्फ घसिया पत्नी दौला जाति सहरिया निवासी बिरमानी हाल निवासी बीलखेडामाल तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
4. बाला पुत्री घासी उर्फ घसिया पत्नी हरविलास जाति सहरिया निवासी बिरमानी हाल निवासी तेलनी तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।

–अपीलान्टगण

–: बनाम :–

1. गंगाराम पुत्र घासी उर्फ घसिया जाति सहरिया निवासी बिरमानी तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
2. धर्मजीत पुत्र घासी उर्फ घसिया जाति सहरिया निवासी बिरमानी तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
3. सवासिंह उर्फ सवाई सिंह पुत्र घासी उर्फ घसिया जाति सहरिया निवासी बिरमानी तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
4. दमेती पुत्री सीताराम पत्नी नरवीर जाति सहरिया निवासी सहरिया कॉलोनी राजपुर तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

श्री हेमराज नामदेव :– वकील, अपीलान्टगण।
श्री प्रकाशचन्द नामदेव :– रेस्पोडेन्टक्रम 3।

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 08.06.1993 ग्राम बिरमानी तहसील शाहबाद

निर्णय **दिनांक 29.04.2026**

अपीलान्टगण द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण **संख्या 67 दिनांक 08.06.1993 ग्राम बिरमानी तहसील शाहबाद** को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जा कर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड एवं रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि ग्राम बिरमानी पटवार हल्का शाहबाद में अपीलान्ट तथा रेस्पोंडेन्ट कम 1 लगायत 3 के पिता व रेस्पों. कम 4 के दादाजी घसिया पुत्र भोला कौम सहर साकिन बिरमानी के खाते की आराजी खसरा संख्या 289/131 रकवा 10.00 बीघा, आराजी खसरा संख्या 130/266 रकवा 11.06 बीघा हिस्सा 1/4 कृषि भूमि स्थित हैं। जिनकी मृत्यू के बाद दर्ज किये गये प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण पर अंकित सजरे में अपीलान्टस् का नाम बतौर पुत्रियां दर्ज हैं, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार एस.टी. के होने से पुत्रियों के अलावा अन्य वारिसान के नाम मुताबिक सजरा अंकन किये जाने की स्वीकृति का आदेश पारित किया हैं। और मृत खातेदार की सगी पुत्रियां होते हुये भी अपीलान्टस् को वाजिव हकाधिकारों से वंचित कर दिया हैं, इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

यह कि अपीलान्टस् मृत खातेदार घसियां पुत्र भोला कौम सहर साकिन बिरमानी की सगी पुत्रियां हैं, जो निर्विवाद साबित हैं। मृत खातेदार घसियां पुत्र भोला कौम सहर साकिन बिरमानी के खाते की ग्राम बिरमानी स्थित अन्य खातेशुदा आराजी खसरा संख्या 296/81 रकवा 13.06 बीघा में विरासतन अपीलान्टस् का नाम दर्ज हैं।

यह कि तहसील शाहबाद में सहरियां अनुसूचित जनजाति की चली आ रही रूढी तथा परम्परा अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को समान हक मिलता चला आ रहा हैं। और इस आधार पर अपीलान्टस् विवादित आराजी में अपने भाईयों के साथ समान हक प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी हैं, इसी कारण पिता की अन्य आराजी में अपीलान्टस् का नाम विरासतन दर्ज हैं।

यह कि दिनांक 16.05.2023 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड जमावंदी नकल प्राप्त करने पर अपीलान्टस् को प्रश्नगत नामान्तरकरण का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ, कि उसी दिन हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर ली और सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश हैं। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न हैं।

यहकि अपीलान्टस् तथा रेस्पो. कम 1 लगायत 3 के सगे भाई सीताराम की मृत्यु हो चुकी हैं, जिसकी रेस्पो. कम 4 एकमात्र पुत्री होकर वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी होने से अपील में पक्षकार संयोजित हैं।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया की अपीलान्ट तथा रेस्पोंडेन्ट कम 1 लगायत 3 के पिता व रेस्पों. कम 4 के दादाजी घसिया पुत्र भोला कौम सहर साकिन बिरमानी के खाते की आराजी के दर्ज किये गये प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण पर अंकित सजरे में अपीलान्टस् का नाम बतौर पुत्रियां दर्ज हैं, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार एस.टी. के होने से पुत्रियों के अलावा अन्य वारिसान के नाम मुताबिक सजरा अंकन किये जाने की स्वीकृति का आदेश पारित किया हैं। और मृत खातेदार की सगी पुत्रियां होते हुये भी अपीलान्टस् को वाजिव हकाधिकारों से वंचित कर दिया हैं, अपीलान्टस् मृत खातेदार घसियां पुत्र भोला कौम सहर की सगी पुत्रियां हैं, जो निर्विवाद साबित हैं। मृत खातेदार घसियां पुत्र भोला कौम सहर के खाते की ग्राम बिरमानी स्थित अन्य खातेशुदा आराजी खसरा संख्या 296/81 रकवा 13.06 बीघा में विरासतन अपीलान्टस् का नाम दर्ज हैं।

तहसील शाहबाद में सहरियां अनुसूचित जनजाति की चली आ रही रूढी तथा परम्परा अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को समान हक मिलता चला आ रहा हैं। और इस आधार पर अपीलान्टस् विवादित आराजी में अपने भाईयों के साथ समान हक प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी हैं, इसी कारण पिता की अन्य आराजी में अपीलान्टस् का नाम विरासतन दर्ज हैं। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण विधि के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

रेस्पोडेन्ट कम 1, 2,व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टकम 3 ने कथन किया कि प्रश्नगत इन्तकाल पारिवारिक विरासत तय करते हुये नवीन इन्तकाल तस्दीक करने में रेस्पोडेण्टगणों को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने कथन किया की प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण पर अंकित सजरे में अपीलान्टस् का नाम बतौर पुत्रियां दर्ज हैं, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार एस.टी. के होने से पुत्रियों के अलावा अन्य वारिसान के नाम मुताबिक सजरा अंकन किये जाने की स्वीकृति का आदेश पारित किया हैं। और मृत खातेदार की सगी पुत्रियां होते हुये भी अपीलान्टस् को वाजिव हकाधिकारों से वंचित कर दिया हैं, अपीलान्टस् मृत खातेदार घसियां पुत्र भोला कौम सहर की सगी पुत्रियां हैं, जो निर्विवाद साबित हैं। मृत खातेदार घसियां पुत्र भोला कौम सहर के खाते की ग्राम बिरमानी स्थित अन्य खातेशुदा आराजी खसरा संख्या 296/81 रकवा 13.06 बीघा में विरासतन अपीलान्टस् का नाम दर्ज हैं। इस आधार पर अपीलान्टस् विवादित आराजी में अपने भाईयों के साथ समान हक प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी हैं,

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम बिरमानी का नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 08.06.1993 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि मृतक खातेदार के वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहबाद को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहाबाद (बारां)